राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–4) 962, 963, 964 व 965/2017........... जिला.......जयपुर...

उनवान : मैसर्स श्री रामदेव कोल, ए–28, श्री निवास नगर, रोड़ नं0 6, वी.के.आई. एरिया जयपुर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–I, जयपुर 2. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–'पी', जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

22/06/2017

अपीलार्थी द्वारा ये चार अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के स्थगन आदेश संख्या क्रमशः एस–18, एस–19, एस–20 व एस–21/AA-I/Stay/17–18 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 30.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

सभी प्रकरणों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म के सर्वेक्षण पर आलौच्य अवधियों में 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल की बिक्री लेखा–पुस्तकों एवं विवरण–पत्रों से छिपाया जाना पाया गया था। इस आधार पर सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–पी, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 25/26, 55 व 61 के तहत दिनांक 28.03.2017 को पारित करते हुए 5 प्रतिशत की दर से कर, तदनुसार ब्याज एवं धारा 61 के तहत कर की दुगुनी शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों से सृजित मांग की वसूली के स्थगन हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पृथक–पृथक आदेश दिनांक 30.05.2017 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें बकाया मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु प्रस्तुत की गयी हैं। प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

अपील संख्या	अवधि	अपवंचित बिक्री	आरोपित		
			कर	ब्याज	शास्ति
1	2	3	4	5	6
962/17	2013–14	50,69,842	2,53,492	1,06,464	5,06,984
963/17	2014–15	91,04,539	4,55,227	1,36,569	9,10,454
964/17	2015–16	2,37,11,110	11,85,556	2,13,402	23,71,112
965/17	2016–17 (21.7.16 तक)	83,00,946	4,15,047	41,509	8,30,064

लगातार.............2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–4) 962, 963, 964 व 965/2017........... जिला......जयपुर...

उनवान : मैसर्स श्री रामदेव कोल, ए–28, श्री निवास नगर, रोड़ नं0 6, वी.के.आई. एरिया जयपुर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–I, जयपुर 2. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–'पी', जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.06.2017	अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री एस. के. जैन तथा प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गयी। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों, अपील व स्थगन आधारों पर विचार करने के उपरान्त, **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्रों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सभी प्रकरणों में **आरोपित कर राशि (कॉलम संख्या 4 के अनुसार) जमा कराने की शर्त पर ब्याज व शास्ति (कॉलम संख्या 5 व 6 के अनुसार)** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह की अवधि में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपीलों का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	